संख्या 28/2015/1450/ सत्रह-म- 2015- 11-1- अ (3)/2006

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 06 नवम्बर 2015

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र पुरोनिधानित मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत् करने के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 368 /नि0शा0/ 2015-16 दिनांक 01- 09-2015 एवं पत्र संख्या'- 388/ /नि0शा0/ 2015-16 दिनांक 29- 09-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्र्तगत वित्तीय वर्ष 2014 -15 मे भारत सरकार के पत्र दिनांक 21-01-2015 द्वारा रू0 802 लाख के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष्य भारत सरकार के पत्र दिनांक 21-01-2015 द्वारा केन्द्राश रू0 601.50 के सापेक्ष्य प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख का केन्द्राश अवमुक्त किया गया था । भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को शासन के पत्र संख्या /2015/170/सत्रह-म-2015 -11-1-अ(3)/06 दिनांक 11-02-2015 द्वारा केन्द्राश रू0 200.00 लाख तथा 25 प्रतिशत राज्यांश रू0 66.667 लाख को समिम्लित करते हुए कुल धनराशि रू0 266.667 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गतवर्ष 2014-15 के प्रस्ताव के सापेक्ष्य भारत सरकार के पत्र संख्या - 31013/10/204-एफ0वाई0(3) दिनांक 17-08-2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 400.00 लाख का केन्द्राश अवमुक्त किया गया है।केन्द्राश के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 400.00 लाख में रू0 1.50 लाख का केन्द्राश नदियो में अंगुलिका संचय (रिवर रैचिंग)योजना के लिए तथा रू0 398.50 लाख केन्द्राश मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत अन्य मदों के लिए अवमुक्त की गयी है।

3- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र पुरोनिधानित मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत् रू0 1,00000 हजार का बजट प्राविधान किया गया है। मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के लिए अवमुक्त की गयी केन्दांश की धनराशि रू0 398.50 लाख के सापेक्ष्य 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में रू0 132.8333 लाख को समिम्लित करते कुल धनराशि रू0 531.3333 (पॉच करोड इकतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तीस) मात्र की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका में उल्लिखित जनपदवार फांट के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

1 उपरोक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धो तथा गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा ।यदि भारत सरकार द्वारा निर्धारितगाइड लाइन्स / शर्तो का किसी भी प्रकार से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

विचलन होता है, तो निदेशक मत्स्य का दायित्व होगा की इस मामले की सूचना वित्त विभाग को पूर्ण विवरण सहित दे दी जाय ।

2 उक्त धनराशि के व्यय किये जाने में राज्य योजना आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3 स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष्य जनपदवार व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण् तथा उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा । अवशेष जमा धनराशि का पूर्व विवरण शासन को वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक -2405 - मछली पालन आयोजनागत–190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता–01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना) (के.75/रा.25, के0+रा0) 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 28 /2015/ 1450 (1)/सत्रह-म-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- अनु सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुधन डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या -31013/ 10/ 204-एफ0वाई0(3) दिनांक 17-08-2015 के संदर्भ में ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय लखनऊ
6- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-2 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या 28 /2015/1450 /सत्रह –म-2015 ।।-। अ (3)/2006 का दिनांक 06 नवम्बर 2015 का संलग्नक

(धनराशि रूपये हजार में)

क्र0स0	जनपद /मण्डल	कुल परिव्यय	राज्यांश	केन्द्राश	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ	240	240	720	960
2	हाथरस	48	48	144	192
3	एटा	40	40	120	160
4	कासगंज	607	607	1821	2428
	अलीगढ मण्डल	935	935	2805	3740
5	आगरा	8	8	24	32
6	फिरोजाबाद	128	128	384	512
7	मैनपुरी	160	160	480	640
8	मथुरा	152	152	456	608
	आगरा मण्डल	448	448	1344	1792
9	आजमगढ	160	160	480	640
10	मऊ	304	304	912	1216
11	बलिया	325	325	975	1300
	आजमगढ मण्डल	789	789	2367	3156
12	इलाहाबाद	320	320	960	1280
13	कौशाम्बी	64	64	192	256
14	फतेहपुर	80	80	240	320
15	प्रतापगढ	16	16	48	64
	इलाहाबाद मण्डल	480	480	1440	1920
16	कानपुरनगर	64	64	192	256
17	कानपुर देहात	128	128	384	512
18	इटावा	320	320	960	1280
19	औरैया	160	160	480	640
20	फरूखाबाद	13	13	39	52
21	कन्नौज	72	72	216	288
	कानपुर मण्डल	757	757	2271	3028
22	गोरखपुर	160	160	480	640
23	महाराजगंज	160	160	480	640
24	देवरिया	100	100	300	400;
25	कुशीनगर	272	272	816	1088
	गोरखपुर मण्डल	692	692	2076	2768
26	बस्ती	160	160	480	640
27	संतकबीरनगर	40	40	120	160
28	सिद्वार्थ नगर	144	144	432	576

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.in

	बस्ती मण्डल	344	344	1032	1376
29	बॉदा	40	40	120	160
30	चित्रकूट	224	224	672	896
31	हमीरपुर	176	176	528	704
32	महोबा	160	160	480	640
	चित्रकूट मण्डल	600	600	1800	2400
33	झांसी	160	160	480	640
34	जालौन	80	80	240	320
35	ललितपुर	160	160	480	640
	झांसी मण्डल	400	400	1200	1600
36	गोण्डा	24	24	72	96
37	बलरामपुर	250	250	750	1000
38	बहराइच	841	841	2523	3364
39	श्रावस्ती	16	16	48	64
	देवीपाटन मण्डल	1131	1131	3393	4524
40	फैजाबाद	11	11	33	44
41	अम्बेडकरनगर	40	40	120	160
42	सुल्तानपुर	160	160	480	640
43	अमेठी	400	400	1200	1600
44	बाराबंकी	200	200	600	800
	फैजाबाद मण्डल	811	811	2433	3244
45	बरेली	320	320	960	1280
46	बदायूँ	112	112	336	448
47	शाहजहॉपुर	224	224	672	896
48	पीलीभीत	320	320	960	1280
	बरेली मण्डल	976	976	2928	3904
49	मिर्जापुर	120	120	360	480
50	सोनभद्र	112	112	336	448
51	संतरविदासनगर	160	160	480	640
	विन्ध्याचल मण्डल	392	392	1176	1568
52	मुरादाबाद	240	240	720	960
53	सम्भल	80	80	240	320
54	अमरोहा	160	160	480	640
55	रामपुर	400	400	1200	1600
56	बिजनौर	272	272	816	1088
	मुरादाबाद मण्डल	1152	1152	3456	4608
57	मेरठ	160	160	480	640
58	बागपत	168	168	504	672
59	गाजियाबाद	56	56	168	224
60	गौतमबुद्धनगर	69	69	207	276

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

61	हापुड	48	48	144	192
62	बुलन्दशहर	80	80	240	320
	मेरठ मण्डल	581	581	1743	2324
63	लखनऊ	160	160	480	640
64	उन्नाव	210	210	630	840
65	रायबरेली	480	480	1440	1920
66	सीतापुर	160	160	480	640
67	हरदोई	240	240	720	960
68	लखीमपुर खीरी	400	400	1200	1600
	लखनऊ मण्डल	1650	1650	4950	6600
69	वाराणसी	160	160	480	640
70	चन्दौली	380	380	1140	1520
71	गाजीपुर	160	160	480	640
72	जौनपुर	80	80	240	320
	वाराणसी मण्डल	780	780	2340	3120
73	सहारनपुर	40	40	120	160
74	मुजफरनगर	240	240	720	960
75	शामली	85.33	85.33	256	341.33
	सहारनपुर मण्डल	365.33	365.33	1096	1461.33
	योग	13283.33	13283.33	39850	53133.33

(रू0 पॉच करोड इकतीस लाख् तैंतीस हजार तीन सौ तीस मात्र)

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।